

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 720/2022

अनवान : -

1. मनोज कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।

- वादी

बनाम्

1. रामनिवास पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. विमला पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
3. सुनिता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
4. सुशीला पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
5. कविता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0  
1955

उपस्थिति :- श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता वादी

श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी स0 1 ता 4  
श्री सुरेन्द्र सिंह प्रतिवादी स0 5

निर्णय

दिनांक: 31/6/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 114/105 की कुल 6.5750 हैक्ट भूमि मे से वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 99/91 की कुल 4.9080 हैक्ट भूमि में से वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स0 1 का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

वादी भूमि पैतृक भूमि है जो रामचन्द्र वल्द लादुराम के नाम बतौर खातेदारी दर्ज थी परन्तु उक्त भूमि प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 ने अपना हक व हिस्सा दोनो चकों चक 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 99/91 की 0.9816 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 114/105 की 1.3150 हैक्ट भूमि में अपने हक व हिस्से की भूमि का परित्याग कर दी तदनुसार वादी व प्रतिवादी स0 1 खातेदार काश्तकार हुवे तथा उक्त भूमि के अनुसार दोनों में वादी व प्रतिवादी स0 1 ने 1/6, 1/6 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है परन्तु उक्त भूमि में प्रतिवादी स0 5 का हक व हिस्सा 1/6 हिस्सा सहवन से उनके नाम दर्ज नहीं हो सका इसलिए प्रतिवादी स0 5 का 1/6 हिस्सा की खातेदार काश्तकार दोनो चकों की रोही मौजा 5 ए बारानी के खाता स0 114/105 में प्रतिवादी स0 5 का 0.365279 हैक्ट भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 का 1.82638766667 हैक्ट भूमि के संयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार है तथा इसी प्रकार से रोही मौजा चक 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 99/91 में प्रतिवादी स0 5 का 0.27268 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा वादी व प्रतिवादी स0 1 दोनों 1.36332 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार हैं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादीगण को काफी मर्तबा कहा कि वो मुताबिक राजीनामा वाद भूमि का वादी व प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार तस्लीम कर लेवे जिस पर प्रतिवादी स0 5 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।



वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीराम बैनीवाल ने वकालतनामा पेश कर प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 की ओर से जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है तथा प्रतिवादी सं० 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बैनीवाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं० 2 ता 4 ने अपना हक व हिस्सा दोनो चकों चक 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 99/91 की 0.9816 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता सं० 114/105 की 1.3150 हैक्ट भूमि में अपने हक व हिस्से की भूमि का परित्याग कर दी तदनुसार वादी व प्रतिवादी सं० 1 खातेदार काश्तकार हुवे तथा उक्त भूमि के अनुसार दोनों में वादी व प्रतिवादी सं० 1 ने 1/6, 1/6 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है परन्तु उक्त भूमि में प्रतिवादी सं० 5 का हक व हिस्सा 1/6 हिस्सा सहवन से उनके नाम दर्ज नहीं हो सका इसलिए प्रतिवादी सं० 5 का 1/6 हिस्सा की खातेदार काश्तकार दोनो चकों की रोही मौजा 5 ए बारानी के खाता सं० 114/105 में प्रतिवादी सं० 5 का 0.365279 हैक्ट भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 का 1.82638766667 हैक्ट भूमि के संयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार है तथा इसी प्रकार से रोही मौजा चक 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 99/91 में प्रतिवादी सं० 5 का 0.27268 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा वादी व प्रतिवादी सं० 1 दोनों 1.36332 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार हैं

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता सं० 114/105 की कुल 6.5750 हैक्ट भूमि में से वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 99/91 की कुल 4.9080 हैक्ट भूमि में से वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं० 2 ता 4 ने अपना हक व हिस्सा दोनो चकों चक 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 99/91 की 0.9816 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता सं० 114/105 की 1.3150 हैक्ट भूमि में अपने हक व हिस्से की भूमि का परित्याग कर दी तदनुसार वादी व प्रतिवादी सं० 1 खातेदार काश्तकार हुवे तथा उक्त भूमि के अनुसार दोनों में वादी व प्रतिवादी सं० 1 ने 1/6, 1/6 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है परन्तु उक्त भूमि में प्रतिवादी सं० 5 का हक व हिस्सा 1/6 हिस्सा सहवन से उनके नाम दर्ज नहीं हो सका इसलिए प्रतिवादी सं० 5 का 1/6 हिस्सा की खातेदार काश्तकार दोनो चकों की रोही मौजा 5 ए बारानी के खाता सं० 114/105 में प्रतिवादी सं० 5 का 0.365279 हैक्ट भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 का 1.82638766667 हैक्ट भूमि के संयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार है तथा इसी प्रकार से रोही मौजा चक 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 99/91 में प्रतिवादी सं० 5 का 0.27268 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा वादी व प्रतिवादी सं० 1 दोनों 1.36332 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं० 1 ता 3 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स० 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स० 114/105 की कुल 6.5750 हैक्ट भूमि में से वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी स० 1 का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी एवं प्रतिवादी स० 1 की बजाय प्रतिवादी स० 5 को 0.365279 हैक्ट भूमि का एवं वादी तथा प्रतिवादी स० 1 को 1.82638766667 हैक्ट भूमि के संयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स० 99/91 की कुल 4.9080 हैक्ट भूमि में से वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स० 1 का 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी एवं प्रतिवादी स० 1 की बजाय प्रतिवादी स० 5 को 0.27268 हैक्ट एवं वादी एवं प्रतिवादी स० 1 दोनों को 1.36332 हैक्ट भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-फेफाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 720/2022

अनवान : -

1. मनोज कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।  
- वादी

बनाम्


1. रामनिवास पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. विमला पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
3. सुनिता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
4. सुशीला पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
5. कविता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
राजस्व वाद संख्या 720 सन 2022 दिनांक 03.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स० 114/105 की कुल 6.5750 हैक्ट भूमि में से वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी स० 1 का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी एवं प्रतिवादी स० 1 की बजाय प्रतिवादी स० 5 को 0.365279 हैक्ट भूमि का एवं वादी तथा प्रतिवादी स० 1 को 1.82638766667 हैक्ट भूमि के संयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स० 99/91 की कुल 4.9080 हैक्ट भूमि में से वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स० 1 का 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी एवं प्रतिवादी स० 1 की बजाय प्रतिवादी स० 5 को 0.27268 हैक्ट एवं वादी एवं प्रतिवादी स० 1 दोनों को 1.36332 हैक्ट भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.5.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023  
कैम्प कोर्ट- फेफाना